तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी हुए
03.01.25	पत्रावली पेश। वाकुलाम उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 27.1.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) शिव	
27.01.25	पत्रावली पेश। वाकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी को जरिये हिबा (दान) से प्राप्त हुई है तथा प्रार्थी मौके पर अपने कब्जा काश्त में काबिज होने से माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 24.07.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तामील बाद कन्फर्म किया जावें। इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन कि विवादित आराजी विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर क्रय की गई है। मुस्लिम विधि अनुसार कब्जशुदा भूमि के खातेदार के जीवनकाल में उसकी संतान अथवा वारिसान का कोई हक हिस्सा निहित नहीं होता है। उक्त विवादित आराजी में वक्त से लेकर विप्रार्थी का ही मौके पर रहवासी ढाणी सहित कब्जा होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन विप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी को पैतृक (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि बताते हुए मनगढ़त एवं झूठे तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अंतरिम स्थगन ले रखा है, जिससे विपक्षीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विवादित आराजी विपक्षी की स्वअर्जित खातेदारी भूमि होने से उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने तथा किसी प्रकार का हिब्बा (दानपत्र) निष्पादित नहीं करवाया हुआ होने से प्रार्थी द्वारा झूठे व मनगढ़त तथ्यों पर आधारित पेश आवेदन को खारिज फरमाया जावें तथा पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावें।

हमने उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। धूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी में हिब्बा (दान) से अपना हक हिस्सा निहित होने का कथन करते हुए एकपक्षीय स्थगन जारी करवाया हुआ है। पत्रावली में पेश जकाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है तथा न ही प्रार्थी द्वारा अपने हिब्बा (दान) के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया गया है, जिससे स्पष्ट हो कि विवादित आराजी में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हो। विपक्षी नकील द्वारा अपने जवाब के साथ पेश दस्तावेज नामान्तरकरण की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी विपक्षी

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी हुए
	द्वारा क्रय की गई है। खातेदार के जीवनकाल में अर्जित आराजी उसके जीवनकाल में ही आगामी पीढ़ी अर्थात उसके वारिसान को पैतृक रूप से प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः विवादित आराजी विपक्षीगण की खातेदारी होने तथा उनका कब्जा काश्त होने से प्रार्थी का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने व हिब्बा (दान) के दस्तावेज नहीं होने के अभाव में उक्त आवेदन मनगढ़त तथ्यों पर आधारित पेश किया हुआ होना प्रतीत है, जिसमें प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। लिहाजा उक्त आवेदन मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से चलने योग्य नहीं होने से पूर्व में दिनांक 24.07.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाकर उक्त आवेदन को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

सेवार्थ,

Scanned with OKEN Scanner